

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड
कार्यालय:- निदेशक वनपाल सह वनरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय, हजारीबाग।
संविदा सूचना

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड में नवनियुक्त वनरक्षियों को वनपाल सह वनरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय, हजारीबाग में प्रशिक्षण देने हेतु निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के लिये उनके नाम के सामने अंकित संख्या में विषय विशेषज्ञों का अस्थायी फैकल्टी के रूप में संविदा पर नियोजन हेतु इच्छुक योग्य व्यक्तियों (भारतीय नागरिक) से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है :-

क्र०सं०	पाठ्यक्रम – विषय	विषय-विशिष्ट फैकल्टी की संख्या	कुल मासिक मानदेय (एक मुश्त) (रु०)	नियोजन अवधि (माह)
1	2	3	4	5
1.	वन वर्द्धन (सिल्विकल्चर)	01	50,000/-	06
2.	वन सुरक्षा (वन विधियों/नियमों सहित)	01	50,000/-	06
3.	वन सर्वेक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी एवं अभियांत्रिकी	01	50,000/-	06
4.	वन उपयोगिता, सामुदायिक वानिकी एवं ग्राम वन प्रबन्धन	01	50,000/-	06
5.	वन्य प्राणी संरक्षण, लेखा एवं प्रक्रिया	01	50,000/-	06
6.	शारीरिक प्रशिक्षक (PTI)	01	25,000/-	06
7.	सहायक शारीरिक प्रशिक्षक (Assistant PTI)	01	15,000/-	06

न्यूनतम अहर्तार्य :-

1. क्रम संख्या 1 से 05 तक के विषयों हेतु नियोजन के लिए :-

- (क) किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/विश्वविद्यालय से विज्ञान या वानिकी संकाय में स्नातक पास।
(ख) कम से कम 10 वर्षों तक वन क्षेत्र पदाधिकारी, सहायक वन संरक्षक या वन विभाग में ऊपर के पद पर कार्य का अनुभव या किसी सरकारी शिक्षण/गैर सरकारी संस्थान में वानिकी संकाय में सम्बन्धित विषय पर 10 वर्षों के पठन पाठन (शिक्षावृत्ति) का अनुभव हो।
(ग) दिनांक 31.07.2017 को उम्र सीमा 35 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक को शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिये जिससे कि वे बिना किसी बाधा के यात्रा एवं पठन-पाठन कर सकें।
(घ) नियोजन हुए व्यक्तियों को उनसे सम्बन्धित विषय के सामने अंकित राशि एकमुश्त मानदेय के रूप में निर्धारित है। परन्तु यदि सेवा निवृत्त पदाधिकारी हैं, तो उनकी सेवा निवृत्ति के समय देय वेतन का 50% या एक मुश्त राशि जो भी कम होगी, वही देय होगी।

2. क्रम संख्या 06 एवं 07 के विषयों हेतु नियोजन के लिये :-

- (क) किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/विश्वविद्यालय से इन्टरमीडिएट पास।
(ख) किसी सरकारी/गैर सरकारी संस्थान में सम्बन्धित विषय पर कम से कम 05 साल का कार्य अनुभव।
(ग) दिनांक 31.07.2017 को उम्र 25 एवं 50 साल के बीच हो।
(घ) सेना/अर्द्धसैनिक बल/पुलिस बल के सेवानिवृत्त कर्मी को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी।
(ङ) आवेदक को शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिये। चुनाव हो जाने की स्थिति में योगदान के समय मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थान से स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र समर्पित करना आवश्यक होगा।
(च) नियोजित व्यक्तियों को उनसे सम्बन्धित विषय के सामने अंकित राशि एकमुश्त मानदेय के रूप में निर्धारित है। परन्तु यदि सेवा निवृत्त पदाधिकारी हैं, तो उनकी सेवा निवृत्ति के समय देय वेतन का 50% या एक मुश्त राशि जो भी कम होगी, वही देय होगी।

3. (i) आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय : दिनांक-28.08.2017 सोमवार 12.00 बजे तक
(ii) आवेदन जमा करने का स्थान : कार्यालय-निदेशक वनपाल सह वनरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय, हजारीबाग-825301
(iii) साक्षात्कार के लिये तिथि एवं समय : दिनांक-31.08.2017 समय 10.00 पूर्वाह्न से 5.00 बजे अपठ
(iv) साक्षात्कार का स्थान : कार्यालय-निदेशक वनपाल सह वनरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय, हजारीबाग-825301

4. आवेदन डाक से या व्यक्तिगत रूप से नियत कार्यालय में दिया जा सकता है परन्तु डाक द्वारा आवेदन देने पर विलम्ब की स्थिति में आवेदन अस्वीकृत समझा जाएगा। अन्य माध्यमों से आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
5. इस नियोजन की उक्त शर्तों में परिवर्तन करने या इस विज्ञापन/कार्य को रद्द करने की शक्ति आवेदन आमंत्रित करनेवाले प्राधिकार के पास सुरक्षित है।
6. आवेदन विहित प्रपत्र में ही स्वीकार किया जायेगा, जो नीचे संलग्न है।
7. सेवा शर्तें एवं अन्य www.hazaribag.nic.in पर देखा जा सकता है।

अन्य सेवा शर्त :-

1. प्रारम्भिक चरण में संविदा के आधार पर यह अस्थायी नियोजन 06 माह के लिए किया जाएगा। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर आगे आवश्यकतानुरूप इसका विस्तार किया जा सकेगा।
2. प्रशिक्षण कार्य पूर्ण होने पर अथवा संविदा की अवधि का विस्तार नहीं होने की स्थिति में संविदा पर किया गया यह नियोजन स्वतः समाप्त हो जायेगा।
3. यदि कोई कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि इस नियोजन से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो उसे प्रशिक्षण विद्यालय के निदेशक को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की प्राप्त की जा रही परिलब्धि (उपर अंकित अनुमान्य मानदेय की राशि के अनुसार) निदेशक कार्यालय में जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि संविदा अवधि के दौरान निदेशक को ऐसे कर्मि की सेवा की आवश्यकता नहीं हो, या संविदा अवधि के दौरान कार्य असंतोषप्रद पाये जाने पर ऐसे कर्मि की सेवा निदेशक द्वारा एक माह के पूर्व लिखित सूचना या एक माह का उक्त निर्धारित एवं प्राप्त की जा रही राशि के बराबर एकमुश्त मासिक मानदेय देकर सेवा समाप्त की जा सकेगी। इसके विरुद्ध सम्बन्धित कर्मि किसी भी स्तर पर अपील नहीं कर सकेंगे।
4. नियोजन के दौरान सम्बन्धित व्यक्ति को अपना समय प्रशिक्षण विद्यालय के निदेशक द्वारा तैयार किये गये प्रशिक्षण कार्यक्रम या इससे सम्बन्धित कोई अन्य उत्तरदायित्व निर्वहन में देना होगा। ऐसा नहीं करने पर मासिक मानदेय की राशि में से समानुपातिक रूप से कटौती की जाएगी।
5. आवेदक को उपर अंकित एवं अनुमान्य एकमुश्त मानदेय की राशि के अन्तर्गत ही यात्रा भत्ता, मकान भत्ता आदि सभी प्रकार की अनुमान्य भत्ते सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त अलग से और कोई राशि देय नहीं होगी, परन्तु प्रशिक्षण सम्बन्धी रूटीन कार्यों के अतिरिक्त निदेशक द्वारा सौंपे गये किसी विशेष कर्तव्य के निर्वहन में यात्रा करनी पड़े या जिसमें कोई अन्य व्यय सन्निहित हो, तो उसका वास्तविक व्यय का वहन प्रशिक्षण विद्यालय करेगा।
6. इस प्रकार एकमुश्त संविदा राशि पर नियोजित कर्मियों को अवकाश की देयता के बारे में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियम लागू होंगे।
7. नियोजन के समय सम्बन्धित व्यक्ति को विभाग द्वारा तैयार किए गए अनुबंध पत्र पर बिना शर्त हस्ताक्षर करना होगा।
8. चयन की प्रक्रिया में किसी भी विवाद की स्थिति में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा।
9. आवेदक का साक्षात्कार एवं योगदान के लिए भी किसी प्रकार का यात्रा व्यय का भुगतान नहीं किया जायेगा।
10. यह नियोजन किसी पद के विरुद्ध नहीं है तथा पूर्णतः अस्थायी है। यह मात्र नवनियुक्त वनरक्षियों के Intended प्रशिक्षण सम्बन्धी एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिये है। अतः इस नियोजन के आधार पर सरकारी सेवा में नियमित नियुक्ति या सेवा नियमितीकरण का प्रश्न नहीं उठेगा और सम्बन्धित व्यक्ति इसके हकदार नहीं होंगे।
11. संस्थान (प्रशिक्षण विद्यालय) प्रधान द्वारा समय-समय पर प्रशिक्षण सम्बन्धी सौंपे गये अन्य कार्य को भी निशुल्क सम्पादित करना होगा एवं आवश्यकतानुसार एक से अधिक विषयों को पढ़ाना होगा।
12. आवेदन पत्र के साथ-साथ शैक्षणिक योग्यता, अतिरिक्त योग्यता, अनुभव प्रमाण-पत्र, सी0वी0 की स्वअभिप्रमाणित प्रति जमा करना होगा।
13. यह नियोजन दिनांक 01.09.2017 से प्रभावी होने की संभावना है।
14. किसी सेवारत पदाधिकारी/कर्मचारी को इस नियोजन हेतु पात्रता नहीं है।
15. नियोजित व्यक्तियों पर यदि टी0डी0एस0 लागू होगा, तो मानदेय भुगतान के समय नियमानुसार कटौती की जाएगी।

निदेशक

वनपाल सह वनरक्षी प्रशिक्षण
विद्यालय, हजारीबाग।

**FORM FOR TEMPORARY CONTRACTUAL EMPLOYMENT FOR SUBJECT MATTER-EXPERTS
FOR TRAINING OF FOREST GUARDS IN FORESTER CUM FOREST GUARD TRAINING
SCHOOL,HAZARIBAG.**

Advertisement No :

Subject Applied for :-

Personal Details of Applicant:

Name :-

Father's Name :-

Aadhar No. :-

Mobile Number :-

Gender :-

Date of Birth :

E-Mail ID :

Religion :

Nationality

Paste your
Recent
Passport Size
Photograph

Address of Communication :

Address :-

City :-

District :-

State :-

Pin Code :-

Educational Qualifications

Sl.No.	Qualification	Stream	Board/University	Institute	Passing Year
1	2	3	4	5	6

Training/Training Experience

Sl.No.	Training/Training Subject	Date wise period	Institute	Remarks
1	2	3	4	5

Experience (Teaching/P.T., as applicable).

Sl.No.	Employer	Institute	Designation	Responsibility Discharged (with short synopsis)
1	2	3	4	5

Date :-

Place :

Name of Applicant:

signature of Applicant:

निदेशक
वनपाल सह वनरक्षी प्रशिक्षण
विद्यालय, हजारीबाग ।